



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP14739066476723V

16

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Q 5907



Certificate No. : IN-UP14739066476723V

Certificate Issued Date : 15-Sep-2023 05:07 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800422778940374062V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : GATA NO-133 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH- SOHAWAL DISTT-AYODHYA


Consideration Price (Rs.) : 1,59,390

First Party : RIYASAT ALI SO JAMIN AND OTHERS

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,59,390  
(One Lakh Fifty Nine Thousand Three Hundred And Ninety only)



Signature of Riyasat Ali So Jamin

Signature of Officer

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Signature of Officer

RD 0007065698

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.mca21.com](http://www.mca21.com) or using e-Stamp Mobile App or look for any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website. Mobile App renders it invalid.
2. The user procuring the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



INDIA NON JUDICIAL



17

Government of Uttar Pradesh


IN-UP14795479030271V

e-Stamp

Q 5909



Certificate No. : IN-UP14795479030271V  
 Certificate Issued Date : 15-Sep-2023 05:48 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800425222288612867V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-95 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAM SEWAK SO MAHARAJ DEEN  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 85,750  
 (Eighty Five Thousand Seven Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line



निव भूमिदा  
राम सेवक

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

RD 0007065703

Statutory Alert

1. The user must verify the details of the certificate and its validity on the website of the State Government of Uttar Pradesh.
2. The user must verify the details of the certificate and its validity on the website of the State Government of Uttar Pradesh.
3. The user must verify the details of the certificate and its validity on the website of the State Government of Uttar Pradesh.





श्री राम कृष्ण



## विक्रय पत्र कार्यालय उप/निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है--

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम --फिरोजपुर उपरहार --, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
95	16626900950000-2	0.1750

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0875 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
95	0.0875	गा0सं0-93 माली	गा0सं0-94 व 72	गा0सं0-72	गा0सं0-96

श्री राम कृष्ण

श्री राम कृष्ण



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (संकेतित दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
95	0.1750	रामसेवक	महाराजदीन	0.0875	1225000.00	1225000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 85750.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
रामसेवक	महाराजदीन	809510118904	HGBPS3799N		कृषि	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या


10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।

ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।

  
रामसेवक




- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर इस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

## 12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रामसेवक	महाराजदीन	बड़ौदा यू०पी० बैंक	BARBOBUPGBX	55300100000052	1225000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

( बारह लाख पचीस हजार रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।







इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विदोख का निष्पादन किया । इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया ।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या ।



द्वितीय साक्षी विवरण :-


हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मुन्ना	राम कृपाल	7394085020	नाई	फिरोजपुर उधरहार सोडावल अयोध्या ।



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या --2/2015/215 एक -13-2015-20(43)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या--1)





Handwritten scribbles and marks in the top right corner.

Handwritten scribbles and marks in the lower right quadrant.

Small handwritten mark or character at the bottom left.

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी हैं/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्


प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत हैं/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत हैं/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्द कोई बात या भूवद्द किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:—

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।





(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- भगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
67	95	0.0875	—	1225000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
—	—	1225000.00	शम सेख	शिव महाराज	फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या

  
शम सेख


आवेदन सं०: 202300904007254

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5909

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1225000 स्टाम्प शुल्क- 85750 बाजारी मूल्य - 1225000 पंजीकरण शुल्क - 12250 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 12310

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/09/2023 एवं  
06:16:46 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह


उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
15/09/2023

निबंधक लिपिक  
15/09/2023

प्रिंट करें

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित सम्स्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	रामसेवक	महाराजदीन	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी


नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मुन्ना	राम कृपाल	7394085020	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

क्रय निकाय के ओर से अधिकृत,  
(स्वर्धिस राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।



  
राम सेवक

आवेदन सं०: 202300904007254

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5909

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री राम सेवक, पुत्र श्री महाराजदीन

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: डी-वैद्येही नगर कालोनी सहबगंज अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता: 2



श्री मुन्ना, पुत्र श्री राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
15/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
15/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
95	रामसेवक	महाराजदीन	0.0875	

निष्पादन का दिनांक:-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।






आवेदन सं०: 202300904007254

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3127 के पृष्ठ 239 से 256 तक क्रमांक 5909 पर दिनांक 15/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह.

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

15/09/2023



INDIA NON JUDICIAL



18

Government of Uttar Pradesh

IN-UP15683349019873V

e-Stamp



Certificate No. **D 5930** : IN-UP15683349019873V ✓  
 Certificate Issued Date **2023** : 16-Sep-2023 03:41 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800425302537836597V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-46 KA MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALS! TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : MUNNA SO RAM KRIPAL AND OTHERS  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 38,850  
 (Thirty Eight Thousand Eight Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line

मुन्ना  
 मुन्ना सो राम कृपाल  
 मिर्जा रोहतास हुसैन  
 उप सचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या  
 12-10

RD 0007065720

Statutory Alert.

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified or downloaded from the website or using a Stamp Mobile App of State. Missing Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The burden of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



12 3307000



क्रमांक 100/2017  
गोपाल सिंह

क्रमांक 100/2017  
शान्ति देवी

### विक्रय पत्र

### कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार -, परगना - ममलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
46 क	166269004600002	0.0396

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0396 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
46 क	0.0396	शेष भूमि गाटा सं-46 नि.			

मुन्ना

शान्ति देवी

क्रमांक 100/2017

गोपाल सिंह

शान्ति देवी



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
46 क	0.0990	मुन्ना	राम कृपाल	0.0099	138600.00	138600.00
46 क	0.0990	सिन्दू	राम कृपाल	0.0099	138600.00	138600.00
46 क	0.0990	जगन्नाथ	राम कृपाल	0.0099	138600.00	138600.00
46 क	0.0990	शान्ती देवी	राम कृपाल	0.0099	138600.00	138600.00
				कुल धनराशि		554400.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 38808.00 ≈ 38800/-

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
मुन्ना	राम कृपाल	986712876630		7394085020	नाई	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या
सिन्दू	राम कृपाल	446384886812		7394085020	नाई	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या
जगन्नाथ	राम कृपाल	217522494785		7394085020	नाई	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या
शान्ती देवी	राम कृपाल	817004599869	GP/BPS4632L	7394085020	ग्रहणी	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

मुन्ना  
श्री शरद कुमार  
श्री शरद कुमार  
श्री शरद कुमार

Handwritten marks or symbols in the top right corner, possibly including a small circle and some illegible characters.

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किए जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मुन्ना	राम कृपाल	बड़ौदा यू०पी० बैंक	BARB0BUPGBX	55060100006548	135600.00
2	सिन्दू	राम कृपाल	बड़ौदा यू०पी० बैंक	BARB0BUPGBX	55300100016732	135600.00
3	जगन्नाथ	राम कृपाल	बड़ौदा यू०पी० बैंक	BARB0BUPGBX	55300100021453	135600.00
4	शान्ती देवी	राम कृपाल	बड़ौदा यू०पी० बैंक	BARB0BUPGBX	55300100013703	135600.00

मुन्ना  
सिन्दू  
जगन्नाथ  
शान्ती देवी

राम कृपाल

बड़ौदा यू०पी० बैंक

बड़ौदा यू०पी० बैंक

बड़ौदा यू०पी० बैंक

बड़ौदा यू०पी० बैंक

135600.00

135600.00

135600.00

135600.00



कुल धनराशि शब्दों में-

(पाँच लाख चौवन हजार चार सौ रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
राम रौवक	महाराज दीन	7394085020	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोडावल अयोध्या।



मुकुना

मुकुना

मुकुना

मुकुना

मुकुना



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(43)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्


प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।


चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-


- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फतल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

  
मु-ना



  
मु-ना

  
मु-ना





(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।


(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम— फिरोजपुर उपरहार, परगना— भगलसी तहसील—सोहावल जिला—अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
125	46 'क'	०.०396	—	554400.00	-	-


भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
—	—	554400.00	मुन्ना सिन्हा	S/O रामकृपाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या।
			जगन्नाथ	"	"
			शान्ती देवी	S/O	"

  
मुन्ना

रि. ९

  
रि. ९

रि. ९



विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5930

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 554400 स्टाम्प शुल्क- 38850 बाजारी मूल्य - 555000 पंजीकरण शुल्क - 5550 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 5610

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/09/2023 एवं 04:22:30 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहाबत



अयोध्या  
16/09/2023

निबंधक लिपिक  
16/09/2023

प्रिंट करें

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भाँति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

● भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मुन्ना	राम कृपाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
2	सिन्दू	राम कृपाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
3	जगन्नाथ	राम कृपाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
4	शान्ती देवी	राम कृपाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

मि० भं० मु०

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।	


गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
राम सेवक	महाराज दीन	7394085020	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	


क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,  
(स्वर्गिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

मि० भं०  
  
मुन्ना

रि० मु०  


मि० भं० मु०  
  
जगन्नाथ

मि० भं० मु०  
  
शान्ती देवी



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5930

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मुन्ना, पुत्र श्री राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

मुन्ना



विक्रेता: 2

श्री सिन्दूर, पुत्र श्री राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

सिन्दूर



विक्रेता: 3

श्री जगन्नाथ, पुत्र श्री राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 4

श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री राम कृपाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी



विक्रेता: 1

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

शरद कुमार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: डी - वैद्येही नगर कालोनी साहबगंज अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ओम प्रकाश




पहचानकर्ता: 2

श्री राम सेवक, पुत्र श्री महराजदीन

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि



ने की। प्रत्यक्षतः अद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रहुल सिंह

अप निबंधक: सोहावल

अयोध्या



16/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या


16/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
107	मुन्ना	राम कृपाल	0.0099	
107	सिन्दू	राम कृपाल	0.0099	
161	जगन्नाथ	राम कृपाल	0.0099	
161	शान्ती देवी	राम कृपाल	0.0099	

निष्पादन का दिनांक:-  
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

  
मुन्ना










आवेदन सं०: 202300904007255

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 3128 के पृष्ठ 183 से 200 तक क्रमांक 5930 पर दिनांक 16/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

16/09/2023

प्रिंट करें

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231141

ग्राम क्रमांक : 166269 ग्राम का नाम / पगना : फिरोजपुर उपहार(मालती) तहसील : सोहावल जनपद : अयोध्या फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमि अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो

00125	रामू / सुनीलाल / नि. ग्राम सुना / राम कृपाल / नि.ग्राम सिन्द / राम कृपाल / नि.ग्राम जगनाथ / राम कृपाल / नि.ग्राम आरती / राम कृपाल / नि.ग्राम शान्ती देवी / राम कृपाल / नि.ग्राम	1390 1390	37क 46क	0.0280 0.0990		1431फ. आदेश न्याया. तहसीलदा-न्यायिक, सोहावल वाद सं0 T202304230204963 तऱ0 फे0 26-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपहार परना मालसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 125 पर अंकित गाटा संख्या 46क/0.0990हे. लगानी 0.20रू. से विक्रेता सुना पुत्र राम कृपाल व सिन्द पुत्र राम कृपाल व जगनाथ पुत्र राम कृपाल व शान्ती देवी पत्नी राम कृपाल निवासीगण ग्राम फिरोजपुर उपहार परना मालसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.09.2023 के आधार पर दर्ब हो ह.रा.नि.का./30-10-2023
-------	---	--------------	------------	------------------	--	--

1431फ. द्वारा पखाना अमलदरामद न्याया. तहसीलदा, सोहावल वाद सं0 T202304230205091 तऱ0 फे0 28-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपहार परना मालसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 125 पर अंकित गाटा संख्या 46क/0.0990हे. में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0495हे. अपना सम्पूर्ण अंश लगानी 2.00रू0 से विक्रेता रामू उर्फ रामू शर्मा पता फिरोजपुर उपहार सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या पता अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 21.09.2023 क्रमांक संख्या 6119 प्रतिफल धनराशि सु0-693000.00/-रू0 के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ब हो ह.रा.नि.का./04-11-2023



कुल गाटे- दो	कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक दो सात शून्य (हैक्टयर)	कुल भू-राजस्व - तीन दशमलव एक पाँच रुपये	2	0.1270	₹ 3.15	2	0
<p>Data Digitally Signed by: UDAY RAJ</p> <p>अनुरोध उद्देश्य वालीडी का वेबसिकेशन <a href="http://upbhulekh.gov.in">http://upbhulekh.gov.in</a> Website पर जाकर किया जा सकता है।</p>							

सहम अधिकारी: UDAYRAJ

सहसंलग्न: सोहावल जनपद: अयोध्या

दिनांक एवं समय: 30-11-2023 11:50:48



यह उद्देश्य वालीडी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा किया गया है।

**भूलेख / कम्प्यूटर अनुभाग**  
**तह0 सोहावल, जनपद-अयोध्या**

30 NOV 2023

नकल शुल्क प्रति खाता रू0 15/- मात्र  
 सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

ह0 राजस्व निरीक्षक





## उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231128

ग्राम क्रमांक : 166269 ग्राम का नाम / परगना : फिरोजपुर उपहर(मंगलसी)

जनपद : अयोध्या

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या

खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारण्य उनकी संख्या तथा विनोद सहित और आसा देने वाले अधिकारी का पद

टिप्पणी

1 -----2-----3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिओं के अधिकार में हो

00094 रामअचल / तुलसी राम / चिरमो.पुर

0.1250

112

1390

143]क. आदेश न्याया. तहसीलदा-न्यायिक, सोहबल वाद सं० T202304230204966 तऱ0 फऱ0 26-10-2023 के आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपहर परगना मालसी तहसील सोहबल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 94 पर अंकित गाटा संख्या 112/0.1250के. लगानी 0.10क. से विक्रेता राम अचल पुत्र तुलसीराम निवासी चिरा मोहनपुर परगना मंगलसी तहसील सोहबल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.09.2023 के आधार पर दर्ज हो ह.रा.नि.का./30-10-2023

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक दो पाँच शून्य (हैट्टेय) कुल भू-राजस्व - चार दशमलव सात चार रुपये

₹ 4.74

1

0

Data Digitally Signed by: UDAY RAJ



सक्षम अधिकारी: UDAYRAJ

तहसील: सोहबल जनपद: अयोध्या

दिनांक एवं समय: 08-11-2023 03:42

अभिज्ञ उद्धरण खतौनी का संप्रतिष्ठान <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP15726382455943V


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

2931




Certificate No. : IN-UP15726382455943V  
 Certificate Issued Date : 16-Sep-2023 04:01 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800427043091288969V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-127 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH- SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAM NARAYAN SO RAM SWAROOP  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,31,350  
 (One Lakh Thirty One Thousand Three Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line

राम नारायण सो राम स्वरोप



[Signature]

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

IRD 0007065722

Statutory Alert

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified on [www.ird.gov.in](http://www.ird.gov.in) or using Stamp Mobile App or Stamp Pin App. Any discrepancy at the date/s on the Certificate and as declared by the vendor / Mobile App renders it invalid.
2. The cost of acquiring the stamp duty is not the cost of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Company.





जनपद



उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु विशिष्ट कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार --, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
127	1662690127000012	0.1340

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1340 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
127	0.1340	गा0सं0- 128	गा0सं0- 125 व 126	गा0सं0- 122	गा0सं0- 131



श्रीमन्तराजम 21/10/11

मि: 371

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 – विक्रीत सम्पत्ति का विवरण –

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
127	0.1340	राम नरायन	राम स्वरुप	0.1340	1876000.00	1876000.00

8 – अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण -- रु. 131350.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -- .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम नरायन	राम स्वरुप	963091803854	COCPN7B39E	841778114209	कृषि	चिरामोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष ) का विवरण-- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



नि. 37

राम नरायन आदी

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम नारायण	राम स्वरूप	बड़ौदा यू०पी०ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARBOBUPGBX	55300100001307	1876000.00

कुल धनराशि शब्दों में (अठारह लाख छियत्तर हजार रुपये मात्र)



नि.अ.

राम नारायण 12/12/15

उप.अ.व

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिकूल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर


नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
सुजीत कुमार	राम नारायण यादव	8417804209	ड्राइवर	घिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।



राम नारायण यादव  
नि. अ.

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत हैं/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का दुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथक्कत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।



राम नारायण शर्मा

कि. अ.

उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- भगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वज्ञ संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
110	127	0.1340	-	1876000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	1876000.00	राम नरायन	राम स्वरुप	धिरा मोहनपुर सोहावल अयोध्या।

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



मि. अ. अ.

राम नरायण यादव

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007294

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5931

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1876000 स्टाम्प शुल्क- 131350 बाजारी मूल्य - 1876000 पंजीकरण शुल्क - 18760 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 18820

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/09/2023 एवं  
04:43:19 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राहुल सिंह .

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

16/09/2023

निबंधक लिपिक  
16/09/2023

प्रिंट करें

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम नारायण	राम स्वरूप	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	राम नारायण

गवाह /अभिसाक्षी


नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
सुजीत कुमार	राम नारायण यादव	8417804209	ड्राईवर	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	

  
 क्रय निष्काय की रीति से अधिकृत,  
 (स्वर्णिम राज)  
 उपसचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
 अयोध्या।

  
 उपसचिव  
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



राम नारायण यादव

नि. अ.

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5931

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री राम नारायन, पुत्र श्री राम स्वरूप

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि २५०११५०१२१८८५

क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: डी-वैद्येही नगर कालोनी अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2




श्री सुजीत कुमार, पुत्र श्री राम नारायण यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए है।  
टिप्पणी:



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या  
16/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या  
16/09/2023

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कृंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
127	राम नरायन	राम स्वरूप	0.1340	राम नरायन 21/2/24

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।

उपस्थित

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



राम नरायन 21/2/24

नि.अ.

आवेदन सं०: 202300904007294

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3128 के पृष्ठ 201 से 218 तक क्रमांक  
5931 पर दिनांक 16/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

16/09/2023



e-Stamp

5933  
2023




Certificate No. : IN-UP15776840347178V ✓  
 Certificate Issued Date : 16-Sep-2023 04:26 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800427147154371077V  
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO-112 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA  
 Consideration Price (Rs.)  
 First Party : RAM ACHAL SO TULSI RAM  
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 64,120  
 (Sixty Four Thousand One Hundred And Twenty only)



Please write or type below this line

राम अचल



उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

IRD 0007065724

Statutory Alert

- The authenticity of this document can be verified at [www.indianstamp.gov.in](http://www.indianstamp.gov.in) using e-Stamp Mobile app or any other device.
- Any discrepancy in this printing or in Certificates and as displayed on the website / Mobile App should be reported.
- The cost of creating the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any queries, please inform the Competent Authority.

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

Faint, illegible text or markings at the bottom left of the page.



## विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या


जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार --, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण- .....

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
112	1662690112000012	0.1250

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0416 हेक्
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
112	0.0416	गा0सं0-113	मुख्यमार्ग गा0सं0-93	नाली गा0सं0-111	नहर गा0सं0-122



राज अचल

नि.अ.

उप सचिव  
 अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण --

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
112	0.1250	राम अचल	तुलसी राम	0.0416	915200.00	915200.00


8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण -- रु. 64100.00/64120.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -- .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम अचल	तुलसी राम	317007215959	BDVPA8953M	9307293779	कृषि	चौरा मोहम्मदपुर सोहावरत अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-- .....

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



राम अचल  
मि. अ.

उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

10

11

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -


- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम अचल	तुलसी राम	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100004341	915200.00

कुल धनराशि शब्दों में- ( नौ लाख पन्द्रह हजार दौ सौ रुपये मात्र )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।



राम अचल  
मि. अ.

  
उप सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

10

10

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्येही नगर कालोनी शहबगंज अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
जितेन्द्र कुमार यादव	राम अचल यादव	9307293779	व्यवसाय	चिर्रा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।

जितेन्द्र कुमार यादव



राम अचल  
मि. अ.

उप सचिव  
अयोध्या निगरण प्रधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(43)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का दुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्कृत) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



राज उन्मल  
नि. अ.

उप/सचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।


### अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- भगलसी तहसील-सोहवावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
94	112	0.0416	-	915200.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	915200.00	राम अचल	तुलसी राम	चिरां मोहम्मदपुर सोहवावल अयोध्या।

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

 राम अचल  
मि.अ.

  
उप-सचिव  
असौकर विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007297

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5933

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री राम अचल, पुत्र श्री तुलसी राम

निवासी: चिरा मोहम्मद पुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

राम अचल



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

स्वर्णिम राज




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: डी- वैद्येही नगर कालोनी साहबगंज अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

ओम प्रकाश



श्री जितेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री राम अचल यादव

निवासी: चिरा मोहम्मद पुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

जितेन्द्र कुमार यादव



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उपनिबंधक: सोहावल  
अयोध्या

16/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

16/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम— फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद— अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
112	राम अचल	तुलसी राम	0.0416	राम अचल

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।




राम अचल

उपरोक्त विक्रय का विक्रेता, राम अचल

आवेदन सं०: 202300904007297

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3128 के पृष्ठ 237 से 254 तक क्रमांक  
5933 पर दिनांक 16/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

16/09/2023

प्रिंट करे

(C)

Handwritten notes in the upper middle section, including a vertical line and some illegible characters.

Small handwritten mark or characters.

Small handwritten mark or characters.



Handwritten marks and symbols in the top right corner, including a crescent moon and a star.

Handwritten marks and symbols at the bottom center, including a crescent moon and a star.

7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
133	0.2070	रिपसतु मली	जामिन	0.1035	2277000	2277000
		शाहदा वैभव	रिपसतु मली			

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 159390

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण - .....

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
रिपसतु मली	जामिन	S69045945302	AU2PA1212F	9936407923	कृषि	जिरीपुर उपखण्ड मोहम्मदपुर संहावल अयोध्या।
शाहदा वैभव	रिपसतु मली	पाप9372547 27	BBJP B94586	9936407923	कृषि	जिरीपुर उपखण्ड श्रीदावल अयोध्या।


10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण- .....


क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।

  
श्री शरद कुमार

  
श्री शरद कुमार



Handwritten marks and symbols in the top right corner, including a crescent moon and several dots.

Handwritten marks and symbols in the bottom left corner.


Handwritten marks and symbols in the bottom center.

Handwritten marks and symbols in the bottom right corner, including the number '1075' and a symbol.

- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।


## 12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2 रिप्रास्त अली	3 जासिन	4 एसीएमएल बैंक मिर्जापुर	5 BARBOBUPGBX	6 SS300100022244	7 11,38,500
2	शाहवादी बगम	रिप्रास्त अली	एसीएमएल बैंक बुल	BARBOBUPGBX	SS300100019814	11,38,500
3						









4					
5					

कुल धनराशि शब्दों में- ( **बाईस लाख सत्सहस्र हजार** )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

#### 14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-  
हस्ताक्षर 

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्यही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।



द्वितीय साक्षी विवरण :-  
हस्ताक्षर **शोहराब अली**

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता



  
हस्ताक्षर **ओम प्रकाश**

  
हस्ताक्षर **शोहराब अली**

  
हस्ताक्षर **शोहराब अली**

Handwritten notes in the top right corner, including a circled '1' and some illegible scribbles.

Small handwritten mark or scribble in the bottom left corner.

Small handwritten mark or scribble in the bottom center.

Small handwritten mark or scribble in the bottom right corner.

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(43)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथक्कत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।









(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।


### अनुसूची


ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
127	133	$\frac{0.2070}{2} = 0.1035$	—	22,77,000	—	—

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
—	—	22,77,000	रिमातुङ्की शाहजहाँ का	S/O जामिन	फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या







आवेदन सं०: 202300904007196

प्रिंट करें

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5907

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 2277000 स्टाम्प शुल्क- 159390 बाजारी मूल्य - 2277000 पंजीकरण शुल्क - 22770 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 22830

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा  
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री शरद कुमार  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

स्वर्णिम राज अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/09/2023 एवं  
05:35:36 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

15/09/2023

निबंधक लिपिक

15/09/2023

प्रिंट करें

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

● भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	रिपासत ठाणी	जामिन	जिरीचपुर उपखंड	
2	शाहचंद वैभव	रिपासत ठाणी	जिरीचपुर उपखंड	
3				
4				
5				

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	डी- वैद्यही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
शोहरत अली	रिपासत ठाणी	9936407923	शेखरी	जिरीचपुर उपखंड अयोध्या	शाहचंद अली

क्रय निकाय से अधिकृत,  
(स्वर्णिम राज)  
उपसचिव  
अयोध्या विकास प्राधिकरण,  
अयोध्या।

शोहरत अली  
शाहचंद अली

आवेदन सं०: 202300904007196

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5907

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री रियासत अली, पुत्र श्री जामिन

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2



श्रीमती शाहजहाँ बेगम, पत्नी श्री रियासत अली

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री  
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता : 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: डी -वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2




श्री शोहराब अली, पुत्र श्री रियासत अली

निवासी: 29 फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए है।

टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शहूल सिंह

उप निबंधक : सोहावल  
अयोध्या

15/09/2023


हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
133	रिपासत अली शाहवाँ कौम	जामिन रिपासत अली	0.1035 1/2	

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।






आवेदन सं०: 202300904007196

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3127 के पृष्ठ 201 से 218 तक क्रमांक  
5907 पर दिनांक 15/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह.

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

15/09/2023

उद्धरण खतीनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231155

ग्राम क्रमांक : 166269	ग्राम का नाम / परगना : फिरोजपुर उपहार(मंगलसी)	तहसील : सोहावल	जनपद : अयोध्या	फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	भाग : 1
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	3	4	5	6	7-12

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणिय भूमिधरो के अधिकार में हो

00127

रियासत अली / जामिन / फिरोजपुर  
खिजमत अली / जामिन / फिरोजपुर  
सहामत अली / जामिन / फिरोजपुर  
याकूब अली / जामिन / फिरोजपुर

1429फ. आदेश न्याया. ना.तह. मसौधा वाद सं. टी. 2021042305534 ता.के. 19.01.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतीनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 127 पर अंकित गाटा संख्या 133/0.207हे. का 1/4 भाग एब 0.05175हे. सम्पूर्ण अंग लगानी 0.18हू0 से विक्रेता सहमत अली शुभ जामिन निवासी फिरोजपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती शाहबेगम बेगम पत्नी रियासत अली निवासी फिरोजपुर उपहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.12.2021 के आधार पर दर्ज हो ह.ग.नि.का./26.03.2022

1431फ0 आदेशानुसार र0न0 मंगलसी कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या 2023417700904002961 अन्वर्गत धारा 33 (2) र0स0 2006 दिनांक 11-08-2023 को आदेश हुआ कि मृतक खिजमत अली पुत्र जामिन के स्थान पर सबीइननिशा पत्नी खिजमत अली, मो. आवेशा, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रसीम, मो. दानिया पुत्रगण खिजमत अली व मोहम्मद मोनिश नाबा. आयु 17 वर्ष पुत्र खिजमत अली संरक्षिका माता सबीइननिशा निवासीगण फिरोजपुर उपहार का नाम परसतन दर्ज होह.ग.नि.का./09.08.2023

1431फ. आदेश न्याया. नावक तहसीलद्वार- मसौधा, सोहावल वाद सं0 T202304230204947 ता0 के0 26-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतीनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या पर अंकित गाटा संख्या 133/0.2070हे. में से



शाहजहाँ बेगम पत्नी सिवास्त अली निवासीगण ग्राम फिरोजपुर उपरहार पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या जिला अयोध्या का नाम जारी पंजीकृत बैनामा दिनांक 15.09.2023 के आधार पर सहायतेदार दर्ज हो ह.र.नि.का./27-10-2023

1431फ. द्वारा पवाना अमलदामद न्याया. तहसीलदार, सोहावल वाद सं0 T202304230205062 ता0 फ0 28-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 127 पर अंकित गाटा संख्या 133/0.2070हे. में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.05175हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 2.00रू0 से विक्रीतागण मो0 आवेश पुत्र खिजमत अली व सजीदुन निशां पत्नी खिजमत अली व मो0 दानिया व मो0 वसीम व मो0 वसीम पुत्रगण खिजमत अली व मो0 मोलिश नाबालिग उम्र 17 वर्ष पुत्र खिजमत अली संरक्षिका सजीदुन निशां माता स्वयं निवासीगण फिरोजपुर उपरहार सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज पुत्र शरद कुमार उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या पता अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या का नाम जारी पंजीकृत बैनामा दिनांक 21.09.2023 क्रमांक संख्या 6069 प्रतिफल धनपशि सु0-1138500.00/-रू0 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो ह.र.नि.का./04-11-2023

1431फ. द्वारा पवाना अमलदामद न्याया. तहसीलदार, सोहावल वाद सं0 T202304230205062 ता0 फ0 28-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 127 पर अंकित गाटा संख्या 133/0.2070हे. में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.05175हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 2.00रू0 से विक्रीता शबुद अली उर्फ मोहम्मद बाबुद पुत्र जामिम उर्फ जामिम अली पता फिरोजपुर उपरहार सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज पुत्र शरद कुमार उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या पता अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या का नाम जारी पंजीकृत बैनामा दिनांक 20.09.2023 क्रमांक संख्या 6074 प्रतिफल धनपशि सु0-1138500.00/-रू0 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो ह.र.नि.का./04-11-2023

	2	0.2530	₹ 8.85	5	0
--	---	--------	--------	---	---



Data Digitally Signed by: UDAY RAJ

उत्प्रेक्षित अद्युण सतीती का वेबसिगनेचुरन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर बाबत किया जा सकता है।



सहस्य अधिकारी: UDAYRAJ

हस्ताक्षर: सोहाबल अनपद: अयोध्या

दिनांक एवं समय: 30-11-2023 01:54:59

❶ यह उद्युण सतीती इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है।

**भूलेख / कम्प्यूटर अनुभाग**  
**तह 0 सोहाबल, अनपद-अयोध्या**

30 NOV 2023

नकल शुल्क प्रति खाता रू 0 15/- मात्र  
सर्वच प्रतिस्तिथि प्रमाणित

ह 0 राजस्व निरीक्षक





## उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231115

ग्राम क्रमांक : 166269	ग्राम का नाम / परताना : फिरोजपुर उपखण्ड (मंगलसी)	तहसील : सोहावल	जनपद : असोढ्या	फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	भाग : 1
खाता	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक	खाते के प्रत्येक	प्रत्येक गाँव	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांग्रह उनकी संख्या तथा
खतौनी क्रम		अधिकार प्रारम्भ	गाँव की खसरा	का क्षेत्रफल	दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
संख्या		होने का वर्ष	संख्या	(हे.)	लगान
1	-----2-----	3	4	5	6
					7-12

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमि परतें के अधिकार में हो

00127	रियासत अली / जामिन / फिरोजपुर	1390	133	0.2070	1429क. आदेश न्याया. ना.तह. मसीथा वाद सं. टी. 2021042305534 ता.फ. 19.01.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपखण्ड पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला असोढ्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 127 पर अंकित गाटा संख्या 133/0.2070हे. का 1/4 भाग रकम 0.05175हे. सम्पूर्ण अश लगानी 0.18क0 से विक्रता सहामत अली पुत्र जामिन निवासी फिरोजपुर पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला असोढ्या का नाम निरस्त करके ज़ेता श्रीमती शाहजहाँ केम पत्नी रियासत अली निवासी फिरोजपुर उपखण्ड पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला असोढ्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 04.12.2021 के आधार पर दर्ब हो ह.प.नि.का./26.03.2022
	खिजमत अली / जामिन / फिरोजपुर	1390	206	0.0460	
	सहामत अली / जामिन / फरोजपुर				
	याहूल अली / जामिन / फरोजपुर				

1431क0 आदेशानुसार र0न0 मंगलसी कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या 2023417700904002961 अन्तर्गत धारा 33 (2) र0स0 2006 दिनांक 11-08-2023 को आदेश हुआ कि मूलक खिजमत अली पुत्र जामिन के स्थान पर सजीदुनिशा पत्नी खिजमत अली, मो. आवेश, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नसीम, मो. दानिश पुत्रगण खिजमत अली व मोहम्मद मोनिश नावा. आनु 17 वर्ष पुत्र खिजमत अली सजीदुनिशा माता सजीदुनिशा निवासीगण फिरोजपुर उपखण्ड का नाम बरगस्तन दर्ब हो ह.प.नि.का./09.08.2023

1431क. आदेश न्याया. नावक तहसीलदार- मसीथा, सोहावल वाद सं0 T202304230204947 ता0 फ0 26-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपखण्ड पराना मंगलसी तहसील सोहावल जिला असोढ्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या पर अंकित गाटा संख्या 133/0.2070हे. में से 0.1035हे. लगानी 0.20क. से विक्रता



## उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231155

ग्राम क्रमांक : 166269	ग्राम का नाम / परगना : फिरोजपुर उपखण्ड(मंगलसी)	तहसील : सोहावल	जनपद : अयोध्या	फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	भाग : 1		
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारगंश उनकी संख्या तथा विनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद		
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो							
00127	रियासत अली / जामिन / फिरोजपुर खिजमत अली / जामिन / फिरोजपुर सहागत अली / जामिन / फिरोजपुर याकूल अली / जामिन / फिरोजपुर	1390 1390	133 206	0.2070 0.0460		1429फ. आदेश न्याया. ना.तह. मसौधा वाद सं. टी. 2021042305534 ता.फे. 19.01.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपखण्ड परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 127 पर अंकित गटा संख्या 133/0.2070 हे. का 1/4 भाग रकब 0.05175 हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.18 ल० से विक्रेता सहागत अली पुत्र जामिन निवासी फिरोजपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती शाहबख्त बेगम पत्नी रियासत अली निवासी फिरोजपुर उपखण्ड परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत नैनामा दिनांक 04.12.2021 के आधार पर दर्ज हो ह.रा.नि.का./26.03.2022	टिप्पणी
						1431फ0 आदेशानुसार रा0नि0 मंगलसी कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या 2023417700904002961 अन्तगत धारा 33 (2) रा0सं0 2006 दिनांक 11-08-2023 को आदेश हुआ कि मृतक खिजमत अली पुत्र जामिन के स्थान पर सबीहनिशा पत्नी खिजमत अली, मो. आबेश, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नसीम, मो. दानिश पुत्राण खिजमत अली व मोहम्मद मोनिश नाबा. आयु 17 वर्ष पुत्र खिजमत अली संरक्षिका माता सबीहनिशा निवासीगण फिरोजपुर उपखण्ड का नाम वरसतन दर्ज होह.रा.नि.का./09.08.2023	
						1431फ. आदेश न्याया. नायब तहसीलदार- मसौधा, सोहावल वाद सं0 T202304230204947 ता0 फे0 26-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपखण्ड परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या पर अंकित गटा संख्या 133/0.2070 हे. में से	







कुल गेटे- दो कुल क्षेत्रफल- शून्य दरामवल दो पाँच तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - आठ दरामलव आठ पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: UDAY RAJ



सहम अधिकारी: UDAYRAJ  
तहसील: सोहावल जमपद: अयोध्या  
दिनांक एवं समय: 30-11-2023 01:54:59  
यह अक्षर यहाँनी इलेक्ट्रॉनिक दिल्लीकी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा अंदा तबजोदर संसाधक द्वारा हस्ताक्षरक से

अधिक अक्षर यहाँनी का वेबकिनेयन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

**भूलैख / कम्प्यूटर अनुभाग**  
**तह0 सोहावल, जमपद-अयोध्या**

**30 NOV 2023**

मकल शुल्क प्राप्ति खाता रू0 15/- मात्र  
 सस्य प्रतिलिपि प्रमाणित

**ह0 राजस्व निरीक्षक**

2